

महानता कभी न गिरने में नहीं बल्कि गिरकर उठ जाने में है।
- अज्ञात



मंदी के कगार पर खड़ी अर्थव्यवस्था

अगर इसका जवाब उत्साहपूर्ण हां में देना मुश्किल हो रहा है तो इसकी एक बड़ी वजह यह है कि इन घोषणाओं की धुरी केंद्र सरकार के कर्मचारियों तक सिमटी हुई है, जो आम उपभोक्ताओं का एक अत्यंत छोटा हिस्सा भर हैं।

नवीन शाह।।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था में आई जड़ता दूर करने और बाजार में नई मांग पैदा करने के लिए सोमवार को कई बड़े ऐलान किए। कुल मिलाकर 73 हजार करोड़ रुपये की छूटों, राहतों और अनुदानों के जरिए उनकी कोशिश यह है कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन के संयुक्त परिणाम के रूप में उपभोक्ताओं के बीच खर्च करने को लेकर बनी हुई हिचक किसी तरह टूटे और इकोनमी की रुकी हुई गाड़ी आगे बढ़े। सरकार की इन घोषणाओं की टाइमिंग इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि दशहरा, दिवाली से लेकर छठ, क्रिसमस और न्यू ईयर तक का त्योहारी सीजन अब शुरू ही होने वाला है। दो-ढाई महीने की इस अवधि में खरीदारी को लेकर लोगों में विशेष उत्साह रहता है और इसी वजह से

कारोबार जगत की इससे खास उम्मीदें लगी होती हैं। इस बार तो यह सीजन जैसे मंदी के कगार पर खड़ी अर्थव्यवस्था के लिए बचाव के आखिरी मौके के रूप में आया है।

मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वित्त मंत्री द्वारा घोषित पैकेजों से यह उम्मीद की जा सकती है कि इससे अर्थव्यवस्था को इतना जोरदार धक्का मिल पाएगा, जिससे यह स्टार्ट होकर अपनी गति पकड़ सके। अगर इसका जवाब उत्साहपूर्ण हां में देना मुश्किल हो रहा है तो इसकी एक बड़ी वजह यह है कि इन घोषणाओं की धुरी केंद्र सरकार के कर्मचारियों तक सिमटी हुई है, जो आम उपभोक्ताओं का एक अत्यंत छोटा हिस्सा भर हैं। वित्त मंत्री ने यह उम्मीद जरूर जताई है कि केंद्र सरकार की ही तरह

राज्य सरकारों और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों भी अगर अपने कर्मचारियों को एलटीसी में वैसी ही छूट दें तो बाजार में काफी पैसा पहुंच जाएगा। मगर ऐसी छूट देने के लिए उन्हें प्रेरित करने वाले किसी ठोस कदम की घोषणा का अभी इंतजार ही है। एक अलग कदम के रूप में राज्य सरकारों के लिए 50 साल के लिए ब्याजरहित लोन के रूप में जो 12,000 करोड़ रुपये दिए जाने की घोषणा की गई है उसमें भी इतनी सारी कैटेगरी बनाते हुए ऐसी शर्तें जोड़ दी गई हैं कि किस राज्य के पास कितना पैसा पहुंचेगा, कहना मुश्किल है। 1000 करोड़ रुपये किसी के भी हाथ नहीं आने वाले, इतना तय जान पड़ता है।

इसमें दो राय नहीं कि मौजूदा हालात में सरकार के भी हाथ बंधे हुए हैं। महंगाई

और राजकोषीय घाटे को काबू में रखने का दबाव उस पर है। ज्यादा खर्च करने के जोखिम को वह नजरअंदाज नहीं कर सकती। लेकिन इसके बरक्स खर्च न करने या जरूरत से कम खर्च करने का खतरा भी कम गंभीर नहीं है। फैक्ट्रियों में उत्पादन की स्थिति बताने वाले आईआईपी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अगस्त महीने में इसमें पिछले साल के मुकाबले 8 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। साफ है कि जुलाई महीने में दर्ज की गई 10.8 फीसदी की गिरावट के मुकाबले हालात कुछ खास नहीं सुधरे हैं। यही स्थिति कुछ महीने और बनी रही तो इकोनमी को मंदी के दलदल में फंसने से बचाना मुश्किल होता जाएगा। जाहिर है, कारगर कदम उठाने के लिए अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है।

प्रतियोगिता की इज्जत

अशोक वोहरा।

ये आसान नहीं है, लेकिन जब भी आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हो, तब आप अपने आप को सफल मानने लगते हो। बस यही सफलता है।

धर्म-दर्शन



सफल होने के लिए आपको कोई खास चीज या वस्तु पाने की जरूरत नहीं। या आपको उतने पैसे कमाने की जरूरत नहीं। आपका व्यक्तिमत्व ही आपके सफलता की पदकपबंधजवत है। तब आप किसी को पचतमे करने के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए पुरे आनंद से काम करेंगे। तब आपका काम किसी भी पैसे या कीमत से ज्यादा अमूल्य होगा। तब आप समझायेंगे कि आपने सफलता हासिल कर ली है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस घड़ी में 9 से 92 के स्थान पर क्रमशः ब्रह्म, अश्विनौ, त्रिगुणा, चतुर्वेदा, पञ्चप्राणारू, षड्रसा, सप्तर्षयः, अष्टसिद्धयः, नवद्रव्याणि, दशदिशः, रुद्राः एवं आदित्याः लिखा है।

संपादकीय

अनुबंधों में संशोधन

2003 का बिल पास होने के बाद कई राज्य सरकारों ने बिजली उत्पादन व वितरण के लिए निजी कंपनियों के साथ अनुबंध किए परंतु दुर्भाग्यवश वे प्रतिस्पर्धी बोलियों पर आधारित नहीं थे। बहुत सी डिस्ट्रिब्यूशन कंपनियां करोड़ों रुपये इन निजी कंपनियों को इन अनुबंधों के चलते मजबूरी में दे रही हैं। सार्वजनिक हित इसी में है कि ऐसे अनुबंधों में संशोधन किया जाए। परंतु ऐसे संशोधनों की बजाय बिजली बिल-2020 में इन अनुबंधों को सख्ती से लागू करने और समयबद्ध भुगतान करने का प्रावधान रखा गया है। इस बिल में बिजली वितरण की पूरी व्यवस्था का निजीकरण करने और तमाम सब्सिडियों व क्रॉस-सब्सिडियों को खत्म करने का प्रावधान है। आज देश का आम नागरिक बिजली पर निर्भर है, साथ ही वह किसान भी जो देश के लिए अन्न उगाता है। उसे बिजली चाहिए ताकि वह बोरेवेल और पंप लगा सके। आंध्र प्रदेश की सरकार खेतों में बिजली की खपत को मापने के लिए 17 लाख बिजली के मीटर खरीदने जा रही है। इस पर लगभग 2000 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। यही धन वह किसान के लिए पानी की व्यवस्था करने में लगा सकती है। किसान को अगर नहरों से या वर्षा से पानी नहीं मिलता तो मजबूरी में उसे पंप लगाना पड़ता है। नहरों का पानी सभी किसानों को मिले तो उन्हें सिंचाई के लिए बिजली की जरूरत ही नहीं होगी। इससे डर यह है कि जल्द ही बिजली विलासिता की वस्तु न हो जाए, जिसका बाकी सुविधाओं की तरह केवल अमीर लोग ही उपयोग कर पाएं।

यह तय था कि जब केंद्र में जनता पार्टी की सरकार गिर चुकी है और कांग्रेस ने वापसी कर ली है तो राज्यों में जनता पार्टी की सरकारों का ज्यादा चलना मुमकिन नहीं है।

तीन फीसदी रिटर्न

अजेय कुमार।।

कुछ मुख्यमंत्रियों के राजी न होने के कारण और शायद कृषि संबंधी बिलों के विरोध को देखते हुए भी सरकार ने बिजली बिल-2020 को मानसून सत्र में संसद के पटल पर प्रस्तुत नहीं किया। बिजली की दरों में बढ़ोतरी बर्दाश्त करने की मनरुस्थिति में किसान अभी बिल्कुल नहीं है। परंतु निकट भविष्य में यह बिल आना ही है, इसलिए देश में बिजली उत्पादन और वितरण के सवाल को सही संदर्भ में देखा जाना चाहिए। दिलचस्प है कि बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर का नाम संविधान-निर्माता के तौर पर तो लिया जाता रहा है लेकिन इस बात को लेकर खास चर्चा नहीं होती कि आजादी के बाद वे बिजली मंत्रालय भी देख रहे थे और बिजली आपूर्ति अधिनियम-1948 का श्रेय उन्हें ही जाता है। जब विभिन्न मदों का केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बंटवारा किया जा रहा था तो आंबेडकर ने बिजली को समवर्ती सूची सूची में रखा। इसका अर्थ यह हुआ कि बिजली के क्षेत्र में कानून बनाने का हक केंद्र और राज्य दोनों को दिया गया।

1948 में बने इसी कानून के तहत राज्य बिजली बोर्डों का गठन किया गया जिन्हें बिजली के उत्पादन की क्षमता बढ़ाने, ट्रांसमिशन लाइनों



के नेटवर्क का विकास करने और दूर-दराज के गांवों में बिजली पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई। इन बिजली बोर्डों की आर्थिक सुरक्षा का प्रावधान बिजली आपूर्ति अधिनियम, 1948 में धारा 59 द्वारा रखा गया था जिसमें कहा गया था कि हर राज्य यह सुनिश्चित करे कि उसके बिजली बोर्ड को कम से कम 3 प्रतिशत रिटर्न जरूर मिले। यह प्रावधान भी रखा गया था कि अगर एक राज्य सरकार किसी धार्मिक स्थल को या किसी खेल के मैदान को मुफ्त बिजली देना चाहती है तो बेशक दे परंतु इसका खर्च बिजली बोर्ड पर न डाला जाए। राज्य सरकार इसका भुगतान संबंधित बिजली बोर्ड को करे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बिजली बोर्डों को राजनीतिक दखलंदाजी के कारण कई बार कई स्थानों पर मुफ्त बिजली देनी पड़ी।

दूसरे, दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों में, जहां प्रति

वर्ग किलोमीटर कम आबादी रहती है, बिजली सप्लाई करना बहुत महंगा पड़ता है, परंतु इसे सार्वजनिक हित मानते हुए और नफे-नुकसान की परवाह न करते हुए राज्य बिजली बोर्डों ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। 90 प्रतिशत गांवों में बिजली आ चुकी है, हालांकि सरकारें अब जरूर सार्वजनिक हित के कार्यों को तिलांजलि देने लगी हैं। बिजली बोर्डों में व्याप्त भ्रष्टाचार, बिजली की चोरी और आर्थिक नुकसानों का हवाला देते हुए 2003 में वाजपेयी सरकार बिजली कानून-2003 लेकर आई जिसने सबसे पहले बिजली आपूर्ति बिल-1948 को रद्द किया। इसका एक कारण यह भी था कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने भारत को ऋण देने के लिए यह शर्त रखी थी कि ऊर्जा क्षेत्र को निजी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए खोल दिया जाए। बिजली बोर्डों को भंग करने, उनका कॉरपोरेटीकरण करने और फिर उनकी संपत्तियों को बेचने का काम एनडीए सरकार ने अपने एजेंडे में शामिल कर लिया था।

हम जानते हैं कि बिजली को अन्य उत्पादों की तरह दुकान पर रखकर नहीं बेचा जा सकता। जैसे ही वह पैदा होती है, उसका फौरन इस्तेमाल करना होता है। इसीलिए बिजली की भावी जरूरत का अनुमान लगाना जरूरी हो जाता है और उसमें निवेश भी उसी अनुमान के अनुसार करने होते हैं।

सूटोपू नवताल-5503		कठिनवम	
6	8	5	
1			2
2			8
	4		9
6		5	
2		3	
5			3
8			6
4	9	1	

अपना ब्लॉग अहम प्रश्नों पर गौर करना होगा

मोहन। केंद्रीय बिजली प्राधिकरण ने 2019-20 में बिजली की खपत का जो पूर्वानुमान लगाया, वह वास्तविक मांग से 40 प्रतिशत अधिक था। नतीजतन डिस्कॉमों (डिस्ट्रिब्यूशन कंपनियों) को भारी नुकसान हुआ। विडंबना यह कि सरकार ने अपनी गलती मानने की बजाय डिस्कॉमों को अक्षम घोषित कर दिया। इसलिए पावर सप्लाई की व्यवस्था में स्थायित्व और विश्वसनीयता के लिए योजनाबद्ध ढंग से काम करना अत्यंत आवश्यक है। बहरहाल, समाज की जरूरतों का ध्यान रखते हुए कुछ अहम प्रश्नों पर गौर करना होगा। उदाहरण के लिए, क्या बिजली से लाभ कमाना एकमात्र लक्ष्य है? अगर राज्य बिजली बोर्डों को पूरी तरह खत्म कर दिया गया तो गांवों में बिजली कौन पहुंचाएगा? क्या बिजली की दरें देश की आम जनता की खर्च करने की क्षमता पर निर्भर करेंगी, या ये बाजार पर छोड़ दी जाएंगी?

